राज. राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा 2018 के माध्यम से चयन हेतु सम्मावित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रमुख दिशा–निर्देश

1–समस्त अभ्यर्थी, उक्त आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 की अद्यतन जानकारी हेतु कार्मिक विभाग की वेब साईट www.dop.rajasthan.gov.in देखें।

2–चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जारी किया गया बुलावा पत्र मात्र चिकित्सकीय परीक्षण हेतु है, जो नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। किन्तु इस आधार पर कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करने का दावा करने का अधिकारी नहीं माना जावेगा।

3–मेडिकल बोर्ड, अभ्यर्थियों तथा कार्मिक विभाग के मध्य सामजंस्य स्थापित किये जाने तथा अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का यथासम्भव निराकरण किये जाने हेतु विभागीय प्रतिनिधि एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

4–चिकित्सकीय परीक्षण के समय शासन के विभागीय प्रतिनिधि (कार्मिक विभाग) को अपनी उपस्थिति निर्धारित समय पर दर्ज करावें।

5–प्रत्येक अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण में एक से अधिक दिवस लगने की संभावना है।

6–चिकित्सकीय परीक्षण के समय अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज (स्व–प्रमाणित) एवं परीक्षा प्रवेश पत्र मूल एवं छाया प्रति मय नवीनतम दो फोटो के साथ लावें। पहचान से संबंधित दस्तावेज की प्रति मांगने पर विभागीय प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7–स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आने वाले अभ्यर्थी भूखे पेट ही आना सुनिश्चित करें।

8–यदि अभ्यर्थी किसी बीमारी से ग्रसित है तथा अभ्यर्थी के पास उस बीमारी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हो तो मेडिकल बोर्ड कार्यालय में प्रथम दिवस में जमा करवावें एवं फिटनेस फॉर्मेट में दिये गये सेल्फ–डिक्लेरेशन में लिखित में सूचित करना आवश्यक है।

9–अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत मोबाईल नम्बर को चालू रखा जावे, जिससे अभ्यर्थियों को समय–समय पर मैसेज द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

10–अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपस्थित रहने की सूचना मय कारणों के संबंधित नोडल अधिकारी को दी जावे तथा प्रतिलिपि विभागीय प्रतिनिधि को उपलब्ध करवायें।

11–विभाग द्वारा समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार आवेदन पत्र में अंकित दर्शाये गये गृह जिले के स्थाई पते पर किया जावेगा।

12–अधिक जानकारी के लिये दूरभाष सं. 0141–2227347 पर अथवा सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–4/2) विभाग, कमरा नं. 2224, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर पर सम्पर्क करें।

13–स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगें।

14–चिकित्सकीय परीक्षण उपरान्त पात्र/योग्य पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयतानुसार तथा सेवा प्राथमिकतानुसार सेवाओं में आवंटन/नियुक्ति नियमानुसार की जावेगी।

15–प्रत्येक अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाईडलाईन्स की पालना करें।

16–विभागीय प्रतिनिधि एवं नोडल अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.सं.	विभागीय प्रतिनिधि	चिकित्सालय	नोडल अधिकारी	दिनांक
1	श्री शिव कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड–प्रथम मो.– 8952908183	एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	डॉ. आर.के. पूनिया, सीनियर प्रोफेसर मो.– 9414780654	01.09.2021 से 12.10.2021 तक
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार बुड़गया सहायक शासन सचिव मो. 9511313463	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर।	डॉ. आर.के. माथुर, सीनियर प्रोफेसर मो.– 9414008230	01.09.2021 से 07.09.2021 तक
3	श्री रमण कुमार प्रजापत लिपिक ग्रेड–प्रथम मो.– 7665121969	डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।	डॉ. पी.के. खत्री, उप अधीक्षक मो.– 9414325412	01.09.2021 से 13.09.2021 तक
4	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह राणावत सहायक अनुभागाधिकारी मो.– 9929227400	रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।	डॉ. मनीष शर्मा, सह–आचार्य मो.– 9829086089	01.09.2021 से 03.09.2021 तक
5	श्रीमती राजेश कंवर, सहायक अनुभागाधिकारी मो.– 7891952741	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।	डॉ. संजीव बुरी, सह–आचार्य मो.– 9314092038	01.09.2021 से 08.09.2021 तक
6	श्री राकेश कुमार महावर अनुभागाधिकारी मो.– 9461601099	राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा।	डॉ. दिनेश वर्मा, आचार्य मो.– 9828833112	01.09.2021 से 07.09.2021 तक

==0==